BIHAR CRICKET ASSOCIATION

(Affiliated to THE BOARD OF CONTROL FOR CRICKET IN INDIA)

दिनांक : 10-01-2020

त्रि-सदस्यीय समिति (बीसीए) के द्वारा पारित अंतिम आदेश

त्रि-सदस्यीयसमिति ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 07.12.2019 के द्वारा चुनाव पदाधिकारी के द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची जिसमें सभी जिलों के निर्वाचित सदस्यों का नाम उद्धृत है, को सही मानते हुए असंतुष्ट पक्ष को 17.12.2019 तक अपनी शिकायत दर्ज करने का समय दिया था | |समिति द्वारा 8जिलो से सम्बंधित विवाद पर दिनांक 04.01.2020 को ही अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है।

दिए गए समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त शेष शिकायतें/आपत्तियां से सम्बंधित जिलों से आये सभी पक्षों को नैसर्गिक न्यायप्रक्रिया के तहत निर्धारित तिथि 23.12.2019 एवं 24.12.2019 को त्रि सदस्यीय समिति द्वारा सुनी गई |

त्रि-सदस्यीयसमिति के द्वारा सुनवाई के दौरान शेष जिलो से सम्बंधित दोनों पक्षों के द्वारा किये गये दावे एवं उसके समर्थन में दिये गयेकागजातों के अवलोकन के उपरांत निम्नलिखित प्रासंगिक तथ्य उजागर होता है :

1.**पूर्णिया जिला क्रिकेट संघ के संबंध में** :

शिकायतकर्ता (**श्री हरी ओम झा**)के द्वारा प्रस्तुत तथ्य :

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

(Affiliated to THE BOARD OF CONTROL FOR CRICKET IN INDIA)

I. शिकायतकर्ता का यह कथन है कि वे पूर्णिया जिला क्रिकेट संघ के कार्यकारणी में सन २००१ से २०१२ तक रहे हैं |

II. २०१२ में उनके द्वारा चुनाव करवाई गयी जिसमे श्री राजेश कुमार बैठा गुट विजयी हुए |

III. २०१२ के बाद छह साल तक कोई चुनाव नहीं हुआ तो उसकी शिकायत BCA में की गयी और BCA के तात्कालीन सचिव के द्वारा पत्रांक दिनांक 28.03.2017 के द्वारा पूर्णिया जिला क्रिकेट संघ की एड-हाक समिति गठित की गयी जिसमे श्री राजेश कुमार बैठा को chairman एवं श्री हरी ओम झा को convener के अलावाअन्य सदस्यों को बनाया गया |

IV. एड-हाक समिति के द्वारा 10.12.2017 को आम सभा बुलाई गयी जिसमे मो० मजहर हुसैन को चुनाव पदाधिकारी नियुक्त किया गया |

V. चुनाव पदाधिकारी के द्वारा और BCA के पर्यवेक्षक के निगरानी में पूर्णिया जिला क्रिकेट संघ का चुनाव 08.04.2018 को सम्पन हुआ जिसमे श्री हरी ओम झा गुट विजयी हुआ | इस चुनाव में श्री राजेश कुमार बैठा ने भी अपना नामांकन किया था और उन्ही के संयुक्त हस्ताक्षर से मतदाता सूची बनाई गयी थी |

VI. शिकायतकर्ता का कथन है कि 08.04.2018 का चुनाव सही एवं संवैधानिक है |

<u>श्री राजेश कुमार बैठा का प्रतिवाद :</u>

1. पूर्णिया जिला क्रिकेट संघ में 2012 के बाद 2015 में तत्कालीन BCA उपाध्यक्ष श्री शंकर देव चौधरी एवं श्री आनंद कुमार मिश्रा के

निगरानी में सम्पन हुई थी जिसमे राजेश कुमार बैठा गुट विजयी हुई थी |

2. लोधा समिति की अनुशंसा लागु होने के उपरांत और BCA के दुवारा निर्गत आदेश दिनांक 18.02.2017 के अनुपालन में 5 सदस्यीय समिति गठित कर दिनांक 27.02.2017 को BCA को भेज दिया गया लेकिन तत्कालीन सचिव के दुवारा उसकी मान्यता नहीं देते हुआ अपने पसंद की एड-हाक समिति गठित कर दी गयी जिसमे राजेश कुमार बैठा को chiarman और श्री हरी ओम झा को convener बनाया गया |
3. श्री बैठा का कथन है की 08.04.2018 का चुनाव धोखा है | इसके समर्थन में उन्होंने कहा की पूर्णिया जिला क्रिकेट संघ की आम सभा की बैठक दिनांक 10.12.2017 में एक चुनाव समिति की गठन की गयी थी और श्री मजहर हुसैन जिनको 19.11.2017 के एक औपचारिक बैठक में चुनाव पदाधिकारी नियुक्त किया गया था और इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि

10.12.2017 को आम सभा की बैठक बुलाई जाए | 10.12.2017 के आम सभा की बैठक में एक नई चुनाव समिति की गठन की गयी |

4. श्री बैठा का यह भी कथन है कि श्री मजहरुल हसन को चुनाव पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था | यही नहीं चुनाव में क्लब के अलावा आजीवन सदस्य एवं वार्षिक सदस्य को भी मतदान देने की अनुमति दिया गया जबकि इनके और श्री हरी ओम झा के संयुक्त हस्ताक्षर से सिर्फ २०१२-१३ सत्र के अधार परक्लबों की अंतिम/फाइनल मतदाता सूची बनायीं गयी थी और साथ में आजीवन सदस्य एवं वार्षिक सदस्यों की सूची भी बनाई गयी थी | क्लबों की सूची के ऊपर साफ़ शब्दों में मतदाता सूची लिखी गयी है जबकि अन्य दोनों सूची में सिर्फ आजीवन सदस्य एवं वार्षिक सदस्य लिखी गयी है | क्योंकि आम सभा में सभी सदस्यों को, जिनको मतदान का अधिकार है और जिनको मतदान का अधिकार नहीं है, न्याहित में आमंत्रित की जानी होती है |
5. इनका आगे कहना है कि नामांकन के बाद जब मतदाता सूची प्रकाशित की गयी तब यह पता चला कि आजीवन एवं वार्षिक सदस्यों को में मतदान करने दिया जायेगा, जिसका इन्होने लिखित विरोध किया जिसपर सभी पक्षों ने 07.04.2018 को एक बैठक की जिसमे यह निर्णय लिया गया कि चुनाव को दो महिना के लिये स्थगित कर दिया गया | लेकिन 08.04.2018 को चुनाव करवा लिया गया |
6. श्री बैठा ने चुनाव पदाधिकारी के द्वारा समर्पित कागजातों से यह दिखाया कि जो चुनाव हुआ उसमे भी श्री हरी ओम झा ने २०१७-२०१८ के 34 क्लबों को भी मतदाता बना दिया गया है और २०१२-१३ के

क्लबों की मतदाता सूची और २०१७-१८ के क्लबों की मतदाता सूची में लगभग 10 क्लब दोनों सूची में है जिस से की लगभग 10 क्लब को दो बार मतदान का अवसर दिया गया

7. श्री बैठा के द्वारा चुनाव पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक को अपना आपत्ति दिया गया लेकिन उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया | जब इन्होने माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष अपनी याचिका दायर किया तो उन्होंने BCA के तत्कालीन अध्यक्ष को तीन सदस्यीय समिति, जिसमे तत्कालीन सचिव नहीं हो, का गठन कर अपनी रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया | तीन सदस्यीय समिति ने चुनाव में मतदाता की संख्या वगेरह में गलती पायी और उस चुनाव के पर्यवेक्षक पर अवक्षेप (stricture) दिया और बेगर किसी विवेक बुद्धि से चुनाव को सही घोषित किया | माननीय लोकपाल महोदय ने तीन सदस्यीय समिति के रिपोर्ट को BCA को वापस करते हुए अपने विवेक बुद्धि से निर्णय लेने को कहा और उसके बाद BCA के द्वारा आज तारीख 23.12.2019 को सुनवाई की गयी |

त्रि-सदस्यीय समिति का मंतव्य एवं निष्कर्ष:

यह समिति ने यह भी पाया कि श्री हरी ओम झा यह साबित करने में असफल रहे हैं कि श्री मजहरुल हसन को पूर्णिया जिला के किस COM या आम सभा में चुनाव पदाधिकारी बनाया गया | यह समिति ने श्री बैठा के यह कथन कि 2017-18 के क्लबों के मतदाता सूची पर उनका

हस्ताक्षर नहीं है और सिर्फ क्लबों के सूची पर मतदाता सूची लिखी गयी है |

<u>अतः यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि पूर्णिया जिला क्रिकेट संघ में 08.04.2018 को हुआ चुनाव अवैध एवं असंवैधानिक और नियमों के विरुद्धहै | यह समिति यह आदेशित करती है कि पूर्णिया जिला क्रिकेट संघ में आम चुनाव छह महीने के अन्दर श्री हरी ओम झा द्वारा हस्ताक्षरित 2017-18 के 34 क्लबों की मतदाता सूची पर कर लिया जाये और तब तक BCA के द्वारा पत्रांक 28.03.2017 के द्वारा गठित तदर्थ समिति पूर्णिया जिला क्रिकेट संघ को संचालित करेगी |</u>

2. **पश्चिम चम्पारण जिला क्रिकेट संघ के सम्बन्ध में :**

शिकायतकर्ता श्री जिया इकबाल के द्वारा प्रस्तुत तथ्य :

I. इनके द्वारा यह कहा गया के BCA के तत्कालीन सचिव के मौखिक आदेश पर चुनाव सम्पन कराया गया |

II. इनका यह भी कथन है कि इनके गुट के द्वारा ही इस जिले में क्रिकेट की गतिविधियां संचालित किया जा रहा है |

III. इन्होने यह भी कहा कि श्री राम बालक बाबु के गुट के सभी पदाधिकारीगण की आयु 70 वर्ष से अधिक हो चूका है |

श्री राम बालक यादव के द्वारा उत्तर :

1. इनका कहना है कि original कार्यकारणी इन्ही के गुट का है जो वर्षों से इस जिले की क्रिकेट गतिविधियों का संचालन करती आ रही है |
2. इनका यह भी कथन है की लोधा समिति के अनुपालन में इन्होने सचिव के पद से त्याग दे दिया है और उनके जगह पर नये सचिव का चुनाव हो चूका है |

त्रि-सदस्यीय समिति का मंतव्य एवं निष्कर्षः

<u>यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है की श्री जिया इकबाल गुट के द्वारा किया गया चुनाव गैर संवैधानिक है क्योंकि ये original कार्यकारणी के सदस्य नहीं थे थे और इन्होने इस जिला क्रिकेट संघ का चुनाव तत्कालीन सचिव, BCA के मौखिक आदेश पर करवाया है | यह समिति इस निष्कर्ष पर भी पहुँचती है कि श्री रामबालक यादव/प्रभुनाथ यादव गुट ही इस जिले की सही कार्यकारणी है और इन्ही के द्वारा जिला क्रिकेट संघ का संचालन करेगी।</u>

3. किशनगंज जिला क्रिकेट संघ के सम्बन्ध में :

इस जिले में चुनाव संबंधी विवाद है |

दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह समिति पाती है कि बी सी ए के सचिव के के पत्रांक दिनांक 18.02.2017के अनुपालन में श्री मितुल पटेल को अध्यक्ष और श्री जंगी प्रसाद को सचिव बनाये गये | श्री जंगी प्रसाद को इस जिले के कार्यकारणी ने इस चुनाव के पहले पदत्याग कर दिया गया | अतः सचिव का पोस्ट इस चुनाव तक रिक्त रहा | पूर्व में बी०सी०ए० के सचिव के पत्रांक दिनांक 17.10.2018 के अनुपालन में निवर्तमान अध्यक्ष श्री मितुल पटेल ने जिले के सभी क्लबों के नाम और उनके अध्यक्ष एवं सचिव की लिस्ट बी सी ए ए के सचिव को 10.11.2018 को भेजा गया |

इसी के बाद कोषाध्यक्ष श्री तारिक इकबाल के द्वारा जिले के कार्यकारणी के सदस्यों के चुनाव की अधिसूचना निर्गत कर दी गयी जिसकी सुचना अध्यक्ष श्री मितुल पटेल को अख़बार के द्वारा मिली |

कोषाध्यक्ष के द्वारा निर्गत चुनाव की अधिसूचना के अनुसार की गयी और इसके तहत श्री शमीम अहमद को चुनाव पदाधिकारी एवं श्री हरी हरी ओम झा को बीसीए का ओबसर्वर नियुक्त किया गया | निर्धारित तिथि यानि 25.11.2018 को श्री मो० कलीम उद्दीन के नामांकरण को रद्द करते आम चुनाव कराया गया जिसमे संजय जैन गुट विजयी हुए |

तारिक इकबाल के द्वारा यह कहा गया कि पूर्व सचिव श्री जंगी प्रसाद ने अपना त्यागपत्र दे दिया है | इस कथन का विरोध श्री मितुल पटेल के द्वारा किया गया तब माननीय अध्यक्ष, BCA –सह- त्रिसदस्ये समिति के अध्यक्ष ने ने श्री जंगी प्रसाद से फोन पर बात की जिसमे उन्होंने अपने पद त्याग का समर्थन किया |

कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है की इस जिले में मतदाताओं की संख्या और पहचान की कोई विवाद नहीं है | मितुल पटेल के द्वारा निर्गत क्लबों के नाम, उनके अध्यक्षों एवं सचिवों के नाम में कोई विवाद नहीं है और उसी लिस्ट के अनुसार यह विवादित चुनाव कराया गया है |

त्रि-सदस्यीय समिति का मंतव्य एवं निष्कर्ष:

अतः किशनगंज जिला क्रिकेट संघ का मामला / विवाद के निपटारे [redacted] के लिए कागज़ातों / तथ्यों की गहन जाँच की आवश्यकता है । त्रि सदस्यीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है, कि तथ्यों के गहन छानबीन तक इस संघ के विवाद पर अंतिम निर्णय को लम्बित रखा जाए।

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

(Affiliated to THE BOARD OF CONTROL FOR CRICKET IN INDIA)

4. वैशाली जिला क्रिकेट संघ के सम्बन्ध में :

शिकायतकर्ता श्री परमेंदर कुमार सिंह के द्वारा कहा गया कि 2017 की समिति में ये सचिव थे | उनका यह भी कहना है कि उनके द्वारा 2018 में विधिसम्मत चुनाव कराया गया जिसमे श्री मनोज शुक्ला अध्यक्ष एवं स्वयं सचिव के पद पर निर्वाचित हुए हैं |

श्री प्रकाश के द्वारा कहा गया कि यह चुनाव गुप चुप तरीके से कराया गया और फर्जी लोगों को क्लबों का अध्यक्ष/सचिव दिखाते हुए चुनाव सम्पन कराया गया है | उन्होंने यह भी कहा की श्री परविंदर कुमार सिंह को उनके द्वारा किये गये वितीय अनिमियता के कारण उनको निलंबित किया गया है | जिसकी जॉच कराई जा रही है।

त्रि-सदस्यीय समिति का मंतव्य एवं निष्कर्ष:

यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है माननीय चुनाव पदाधिकारी (2019) के द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची में जिन कार्यकारणी सदस्यों का नाम हैं वही इस जिला संघ के सही कार्यकारणी सदस्य हैं | यह समिति नैसर्गिक न्याय के तहत यह आदेश देती है जिला क्रिकेट संघ का संचालन आदि अन्य सम्बंधित कार्य इसी गुट के द्वारा जाँच प्रतिवेदन आने और समिति के अंतिम निर्णय तक किया जायेगा |

5. कटिहार जिला क्रिकेट संघ के सम्बन्ध में :

शिकायतकर्ता श्री रितेश को सुना उनका कहना है कि तत्कालीन सचिव के 17.10.2018 के आदेशानुसार इस जिला में चुनाव सम्पन हुआ जिसमे इनका गुट विजयी हुआ है |

श्री राजीव जयसवाल के द्वारा लिखित कथन किया है की इस जिला का चुनाव 2017 को हुई थी जिसमे श्री जयसवाल सचिव चयनित हुए थे | पुनः 2018 में एक और असंवैधानिक चुनाव हुआ जिसकी जाँच कराई जा रही है।

जॉच की प्रतिवेदन प्राप्त होने तक यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि इस जिला संघ का पुराना संघ श्री राजीव जयसवाल गुट ही है और माननीय चुनाव पदाधिकारी (२०१९) के द्वारा भी इसी गुट को सही माना है | अतः यह समिति श्री राजीव

जयसवाल गुट को सही पाती है और कटिहार जिला क्रिकेट संघ का संचालन आदि अन्य सम्बंधित कार्य इसी गुट के द्वारा जाँच प्रतिवेदन आने और समिति के अंतिम निर्णय तक किया जायेगा |

FINAL CONCLUSION:

इस त्रि-सदस्यीय समिति के द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 07.12.2019 से प्रभावित पक्षों से 17.12.2019 तक आपत्तियों/दावे देने का समय दिया गया | प्राप्त आपत्तियों और सुनवाई को ध्यान में रखते हुए यह त्रि सदस्यीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि जब तक माननीय लोकपाल, बिहार क्रिकेट संघ या किसी सक्षम न्यायलय के द्वारा कोई आदेश प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक बिहार क्रिकेट संघ के निम्नलिखित पुर्ण सदस्यों की कार्यकारणी के सदस्यों की मूलतः स्थिति निम्नप्रकार से रहेगा और उन्ही को अपने अपने जिलों में क्रिकेट संबंधी निर्णय एवं क्रिकेट संचालन कराएँगे | बिहारक्रिकेट असोसीएशन के चुनाव के कारण रिक्त पदों के परिवर्तन के अतिरिक्त कोई व्यक्ति या सामानांतर गुट BCA या जिला संघ के नाम पर किसी प्रकार की क्रिकेट गतिविधि करती है तो वे संघ विरोधी गतिविधियों के लिए जिम्मेवार होंगे और उचित कारवाई/ सजा के भागी होंगे | त्रि सदस्यीय समिति यह निर्णय बहुमत से ले रही है

SL No.	FULL MEMBERS	PRESIDENT	VICE PRESIDENT	HONORARY SECRETARY	JOINT SECRETARY	HONORARY TREASURER
1	PURNEA DCA (Ad hoc Committee)	RAJESH KUMAR @ BAITHA (CHAIRMAN)	JITENDER KR. SINHA (MEMBER)	HARION JHA (CONVENER)	NAND KISHORE SINGH (MEMBER)	ANBUJ KR. SINGH (MEMBER)
2	WEST CHAMPARAN DCA	ZUBAIR AHMAD	JAIRAM YADAV	RAM BALAK YADAV	PRABHUNATH YADAV	VIJAY ANTONY
3	KISHANGANJ DCA	Final	Decision			Pending
4	VAISHALI DCA	AJAY NISHAD	ABHISHEK GUPTA	PARMENDER KR SINGH	PRAKASH KUMAR	DHEERAJ KUMAR
5	KATIHAR DCA	TARKESHWAR PRASAD	ANIL CHAMARIA	RAJIV KR. JAISWAL	MD. JAVED	RAJ RATAN KAMAL

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

(Affiliated to THE BOARD OF CONTROL FOR CRICKET IN INDIA)

उपरोक्त पुर्ण सदस्यों की कार्यकारणी के सदस्यों की सूची/उक्त मूल कार्यकारणी बिहार क्रिकेट असोसीएशन के ज़िला सम्बंधित विवाद निपटारा हेतु गठित समिति के निर्णयको ही वेब साइट पर प्रदर्शित किया जाए।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
त्रि-सदस्यीय	त्रि-सदस्यीयत्रि	त्रि-सदस्यीय